



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 247]

नई दिल्ली, शनिवार, जून 3, 2006/ज्येष्ठ 13, 1928

No. 247]

NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 3, 2006/JYAISTHA 13, 1928

विदेश मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 1 जून, 2006

भारत गणराज्य और ओमान सल्तनत के बीच प्रत्यर्पण संधि

सा.का.नि. 341(अ).—भारत गणराज्य और ओमान सल्तनत के बीच प्रत्यर्पण संधि पर 26 दिसम्बर, 2004 को मस्कट में हस्ताक्षर किए गए और संधि के अनुच्छेद 28 के अनुसरण में 14 सितम्बर, 2005 को नई दिल्ली में अनुसमर्थन दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया गया और जिस संधि के प्रावधान निम्नलिखित हैं :

भारत गणराज्य की सरकार और ओमान सल्तनत की सरकार, जिन्हें इसमें इसके बाद संविदाकारी राज्य कहा गया है;

दोनों देशों के बीच पारम्परिक मैत्रीपूर्ण संबंधों को स्मरण करते हुए;

अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और संगठित अपराध के स्तर और बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए;

आपराधिक मामलों के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग के लिए न्यायसंगत उपायों को सुदृढ़ और प्रभावी बनाने की आवश्यकता के लिए;

अपराध के लड़ने में सहयोग के साझे उद्देश्य को प्राप्त करने की इच्छा से ताकि दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंध परिलक्षित हो सके;

निम्नलिखित अनुसार सहमत हुए :

अनुच्छेद - एक

दोनों संविदाकारी राज्य उनके क्षेत्राधिकारों में पकड़े गए किसी व्यक्ति, जो किसी प्रत्यर्पणीय अपराध का दोषी अथवा सिद्धदोषी है तो वह उसे अन्य संविदाकारी राज्य को प्रत्यर्पित करेगा ।

दोनों संविदाकारी पक्ष इस संधि के प्रभावी होने के बाद पहले अथवा बाद में किए गए अपराधों के लिए प्रत्यर्पण करने के लिए बाध्य होंगे।

अनुच्छेद - दो

निम्नलिखित व्यक्तियों को प्रत्यर्पित किया जाएगा;

1. दोनों संविदाकारी राज्यों के कानूनों के अधीन एक वर्ष तक की कैद अथवा इससे अधिक कड़ी सज़ा योग्य किसी अपराध के दोषी व्यक्तियों को।
2. अनुरोधकर्ता राज्य की अदालत द्वारा किसी प्रत्यर्पणीय अपराध के लिए छः महीने अथवा इससे अधिक की कैद की सज़ा पाए व्यक्तियों को।

अनुच्छेद - तीन

वह अपराध जिसके लिए दोनों देशों में मृत्युदंड का प्रावधान है, प्रत्यर्पणीय होगा। अनुरोध प्राप्त कर्ता पक्ष की विधि के तहत ऐसे अपराध जो मृत्यु दण्ड के लिए दण्डनीय नहीं है, के लिए प्रत्यर्पण की मांग की गई है तो प्रत्यर्पण से इंकार किया जा सकता है बशर्ते कि अनुरोध कर्ता पक्ष ऐसा आश्वासन देता है तथा अनुरोध प्राप्त कर्ता पक्ष पर्याप्त रूप से यह मानता है कि मृत्युदण्ड नहीं दिया जाएगा, या यदि दिया गया तो निष्पादित नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद - चार

एक अपराध कराधान, राजस्व अथवा पूर्णतया: राजकोषीय प्रकृति का होते हुए भी प्रत्यर्पणीय हो सकता है।

अनुच्छेद - पांच

भड़काने का प्रयास अथवा षडयंत्र करना अथवा किसी प्रत्यर्पणीय अपराध में भाग लेना भी प्रत्यर्पणीय अपराध माना जाएगा यदि यह दोनो संविदाकार राज्यों में अपराध है।

अनुच्छेद - छः

इस आधार पर प्रत्यर्पण के लिए इंकार नहीं किया जा सकता कि वांछित व्यक्ति अनुरोध प्राप्त कर्ता राज्य का राष्ट्रिक है।

अनुच्छेद - सात

1. अनुरोधकर्ताराज्य द्वारा ऐसे प्रत्यर्पणीय अपराध के संबंध में भी प्रत्यर्पण किया जा सकता है जो उस प्रदेश में घटित हुआ है जिसके उपर उसका क्षेत्राधिकार है अथवा नहीं है चाहे उन्हीं परिस्थितियों में किसी अपराध पर अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य का कानून अपना क्षेत्राधिकार नहीं रखता है। ऐसे मामलों में अनुरोध प्राप्तकर्ता राज्य अपराध के गंभीरता सहित मामले की सभी परिस्थितियों पर ध्यान देगा।

2. ऐसे अपराधों में प्रत्यर्पण किया जाएगा जो अनुरोधकर्ता राज्य के राष्ट्रिक द्वारा तीसरे राज्य में किया गया है बशर्ते कि यह अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के विधि के अंतर्गत एक प्रत्यर्पणी अपराध है।
3. किसी प्रत्यर्पण अपराध के लिए प्रत्यर्पण स्वीकार किया जा सकता है चाहे वांछित व्यक्ति का वह अपराध कार्य अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य में पूर्णतः अथवा अंशतः हुआ हो बशर्ते उक्त राज्य के कानूनों के अन्तर्गत यह अपराध और उसके दुष्प्रभाव अथवा उसके इच्छित दुष्प्रभावों को समग्र रूप में अनुरोधकर्ता राज्य के क्षेत्र के भीतर किसी प्रत्यर्पण अपराध को करने के बराबर समझा जाए।

अनुच्छेद - आठ

प्रत्यर्पण के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में इंकार किया जा सकता है:

1. यदि ऐसा अपराध, जिसके लिए अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य से प्रत्यर्पण की मांग की गई है, राजनैतिक अपराध है-अथवा राजनैतिक प्रकृति का है। इस संबंध के अनुप्रयोग में निम्नलिखित को राजनैतिक अपराध अथवा राजनैतिक प्रकृति का अपराध माना जाएगा :
 - (क) राज्याध्यक्ष अथवा शासनाध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, उनके परिवार का कोई सदस्य, ओमान की सल्तनत के शाही परिवार के सदस्य, मंत्रिपरिषद् के सदस्य, दोनों में से किसी भी संविदाकार राज्य के मंत्री श्रेणी का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति अथवा ऐसे व्यक्ति के परिवार के सदस्य की हत्या करना अथवा हत्या का प्रयास करना;
 - (ख) व्यक्ति, सरकार स्थानीय प्राधिकारियों के विरुद्ध अथवा संचार और परिवहन माध्यम के विरुद्ध एक अथवा कई व्यक्तियों द्वारा जबरदस्ती किए गए हत्या, आपराधिक मानव वध, लूटपाट और चोरी के अपराध।
 - (ग) हत्या, मानववध, हमला जिससे शरीरिक क्षति पहुंचे, अपहरण करने, बंधक बनाने सहित आतंकवादी अपराध, ऐसे अपराध जिसमें सम्पत्ति को पर्याप्त रूप से क्षति अथवा सार्वजनिक सम्पत्ति की तोड़-फोड़ शामिल है तथा विस्फोटक, दाहक साधनों अथवा पदार्थों का प्रयोग ;
 - (घ) अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय के अंतर्गत कोई अपराध, जिसके संबंध में दोनों संविदाकारी पक्ष, वांछित व्यक्ति को प्रत्यर्पित करने के लिए अथवा उसके मामले को अभियोग चलाने के लिए बाध्य है;
 - (ङ) उपर्युक्त अपराधों में से कोई अपराध करने का प्रयास अथवा अपराध करने का षड्यंत्र करना अथवा किसी वैसे व्यक्ति के साथ भागीदार के रूप में कार्य करना जो ऐसा अपराध करता है अथवा ऐसा अपराध करने का प्रयास करता है।
2. यदि प्रत्यर्पण के लिए वांछित व्यक्ति को पहले भी उसी अपराध के लिए सजा सुनाई गई है जिसके लिए प्रत्यर्पण की मांग की गई है और दोषमुक्त अथवा सिद्धदोष कर दिया गया है और सजा भुगत चुका है अथवा सजा भुगत रहा है।

3. प्रत्यर्पण के लिए जब अनुरोध प्राप्त होता है तब यदि किसी भी संविदाकार राज्य के कानून के अंतर्गत आतंकवादी कार्रवाई का शमन किया गया है अथवा सजा समयबद्ध है।
4. यदि अपराध अनुरोधकर्ता राज्य के क्षेत्र के बाहर किसी विदेशी द्वारा किया जाता है और यह अनुरोध प्राप्त राज्य के कानून के अंतर्गत अपराध नहीं है।
5. यदि वह अपराध जिसके लिए प्रत्यर्पण की मांग की गई है अनुरोध प्राप्त कर्ता राज्य में की गई है बशर्ते कि अनुरोध प्राप्त कर्ता राज्य उस व्यक्ति पर मुकदमा चलाता है।
6. यदि अनुरोध प्राप्त कर्ता राज्य में उस व्यक्ति, जिसके प्रत्यर्पण की मांग की गई है, पर उसी अपराध के लिए तफतीश की गई है अथवा मुकदमा चलाया गया है जिसके लिए उसके प्रत्यर्पण की मांग की गई है।

अनुच्छेद - नौ

जहाँ अनुरोध प्राप्त कर्ता राज्य इस संधि के अंतर्गत निर्धारित शर्तों के अनुसार प्रत्यर्पण के अनुरोध को खारिज करता है तो वह अनुरोध प्राप्त कर्ता राज्य में इस प्रकार के मामलों पर लागू प्रक्रियाओं के अनुसार कार्रवाई करने के लिए अपने सक्षम प्राधिकारियों को यह मामला प्रस्तुत करेगा और इसके परिणामों से अनुरोधकर्ता राज्य को अवगत कराएगा।

अनुच्छेद - दस

1. प्रत्यर्पण संबंधी अनुरोध लिखित में राजनयिक माध्यमों से किया जाएगा जिसके समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेज होंगे :-

- (क) यदि संभव हो तो पहचान करने के लिए वांछित व्यक्ति का विवरण, वर्णन और फोटो।
- (ख) यदि प्रत्यर्पण किए जाने वाला व्यक्ति अभियुक्त है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया गिरफ्तारी का वारंट, रिमांड या इसी तरह अन्य दस्तावेज भी संलग्न होना चाहिए।
- (ग) जिसके लिए प्रत्यर्पण की मांग की गयी है उस अपराध का स्थान और तारीख और लागू विधिक प्रावधानों की व्याख्या तथा लागू कानूनी प्रावधानों के प्रमाणित प्रति और मुकदमा चलाने वाले प्राधिकारियों द्वारा प्रत्यर्पण किए जाने व्यक्ति के विरुद्ध साक्ष्य का विवरण।
- (घ) दोषसिद्ध अपराधी के मामले में दिए गए फँसले की आधिकारिक प्रति।
- (ङ) अनुरोधप्राप्त कर्ता राज्य के कानूनों के अनुसार ऐसे अन्य साक्ष्य जो दोषी की गिरफ्तारी को न्यायोचित ठहराएगा और उसपर मुकदमा चलाया जाएगा चाहे अपराध अनुरोध प्राप्त कर्ता राज्य के क्षेत्राधिकार में की क्यों न किया गया है।

उल्लिखित सभी दस्तावेजों का अनुवाद अंग्रेजी में किया जाएगा और अनुरोधकर्ता राज्य द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

अनुच्छेद - ग्यारह

1. तात्कालिकता के मामले में अनुरोधकर्ता राज्य के सक्षम प्राधिकारी वांछित व्यक्ति की अनन्तिम गिरफ्तारी का अनुरोध कर सकते हैं। अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के सक्षम प्राधिकारी अपनी विधि के अनुसार मामला तय करेंगे।
2. अनन्तिम गिरफ्तारी के लिए अनुरोध को अनुरोधप्राप्त राज्य के सक्षम प्राधिकारियों के लिए या तो राजनयिक माध्यम अथवा अन्तर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस संगठन (इन्टरपोल) या किन्हीं अन्य उन **साधनों के** जरिए जो लिखित में साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं अथवा संविदाकारी राज्यों द्वारा स्वीकृत हैं।
3. इस अनुरोध की पुष्टि राजनयिक चैनलों के जरिए की जाएगी और इसमें पिछले अनुच्छेद में उल्लिखित दस्तावेजों में से किसी के विद्यमान होने का उल्लेख किया जाएगा और इसमें प्रत्यर्पण अनुरोध प्रेषित करने के अनुरोधकर्ता राज्य की मंशा, जिस अपराध के लिए प्रत्यर्पण की मांग की गई है उसका विवरण उस अपराध के लिए निर्धारित सजा अथवा दी गई सजा, अपराध किए जाने के समय और स्थान और जहां तक संभव हो प्रत्यर्पित किए जाने वाले व्यक्ति के संबंध में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। अनुरोधकर्ता राज्य को अनुरोध के संबंध में की गई किसी भी कार्रवाई से **तत्काल अग्रगत करा दिया जाएगा।**
4. **अनुरोध प्राप्त कर्ता राज्य की कानूनी प्रक्रिया के अनुसार अनन्तिम गिरफ्तारी की जाएगी।**

अनुच्छेद - बारह

1. यदि इस करार के अंतर्गत मांगे गए दस्तावेज प्रत्यार्पित किए जाने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी की तिथि से नब्बे दिन पहले नहीं भेजे जाते तो अनुरोध प्राप्त कर्ता राज्य में सक्षम प्राधिकारी उस व्यक्ति को मुक्त कर सकता है।
2. यदि अनुरोध प्राप्त कर्ता राज्य वांछित व्यक्ति को भागने से रोकने की सभी आवश्यक कार्रवाई करता है तो उस व्यक्ति को किसी भी समय जमानत पर छोड़ा जा सकता है। यदि प्रत्यर्पण का अनुरोध बाद में किया जाता है तो इस प्रकार के व्यक्ति को मुक्त करने के बाद पुनः गिरफ्तार करने से नहीं रोका जा सकता।

अनुच्छेद - तेरह

यदि अनुरोध प्राप्त कर्ता राज्य को इस करार में अभिव्यक्त शर्तों का अनुपालन करने के लिए अतिरिक्त स्पष्टीकरण की आवश्यकता पड़ती है तो वह अनुरोध को खारिज करने से पहले राजनयिक माध्यमों से और/अथवा इन्टरपोल के जरिए इसे सूचित करेगा और इस प्रकार के स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए उचित अवधि निर्धारित कर सकता है।

अनुच्छेद - चौदह

यदि प्रत्यर्पण अनुरोध एक साथ एक से अधिक राज्यों द्वारा या तो उसी अपराध अथवा भिन्न अपराधों के लिए किया जाता है तो अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष सभी परिस्थितियों और विशेषरूप से सापेक्ष गंभीरता और अपराधों के किए जाने के स्थानों; अनुरोधों की संबंधित तारीखों, वांछित व्यक्ति की राष्ट्रियता और दूसरे राज्य के लिए तत्पश्चात प्रत्यर्पण की संभावना को ध्यान में रखते हुए, अपना निर्णय करेगा।

अनुच्छेद - पंद्रह

1. अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य में विश्वास में कार्य कर रहे अन्यो के अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना और प्रवृत्त नियमों के अनुसार, उसकी गिरफ्तारी अथवा रिमांड अथवा बाद की स्थिति में प्रत्यर्पण किए जाने वाले व्यक्ति के अधिग्रहण में पाई गई कोई वस्तु, बशर्ते कि ये वस्तुएं अपराध के लिए प्रयोग की गई हो अथवा उससे संबंधित हो अथवा अपराध के साक्ष्य से संबंधित हो, संलग्न करके अनुरोधकर्त्ता राज्य को सौंप दी जाएंगी, चाहे व्यक्ति की मृत्यु होने अथवा उसके भाग जाने के कारण संबंधित व्यक्ति का प्रत्यर्पण न हुआ हो।
 2. यदि उस अनुच्छेद के पैरा एक में उल्लिखित जब्त की गई सामग्री, अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य में लंबित अपराध की जांच के लिए अभी अपेक्षित है, तब इस सामग्री की सुपुर्दगी को टाला जा सकता है अथवा इनकी सुपुर्दगी की जा सकती है, बशर्ते कि अनुरोधकर्त्ताराज्य में मामले और कार्रवाई के निपटान के पश्चात उनको लौटा दिया जाए।
- अनुच्छेद - सोलह
1. प्रत्येक संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी, अनुरोध के समय अपने राज्य के नियमों के अनुरूप प्रत्यर्पण के लिए अनुरोधों का निर्धारण करेंगे, बशर्ते कि वे अनुरोध इस संधि से असंगत न हो।

2. अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य, प्रत्यर्पण के अनुरोध के मामले में लिए गए निर्णय को बिना किसी देरी के राजनयिक माध्यमों से अनुरोधकर्त्ता राज्य को सूचित करेगा।

3. प्रत्यर्पण के अनुरोध के अनुमोदन की स्थिति में अनुरोधकर्त्ता राज्य प्रत्यर्पण की तारीख और स्थान की सूचना देगा।

4. प्रत्यर्पण की उपरोक्त अधिसूचना की तारीख से 30 दिन के भीतर अनुरोधकर्त्ता राज्य, प्रत्यर्पित किए जाने वाले व्यक्ति को ले लेगा, अन्यथा अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य उसे रिहा कर देगा और इस स्थिति में उसी अपराध के लिए उसी व्यक्ति के प्रत्यर्पण के लिए दूसरा अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

5. जहां इस संधि के अंतर्गत, प्रत्यर्पण को अनुमोदित किया गया है, अनुरोधकर्त्ता राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्यर्पित व्यक्ति को प्रत्यर्पण के छह माह के भीतर मुकदमें के लिए लाया जाएगा और यदि मुकदमा छह माह के भीतर नहीं होता, अनुरोधकर्त्ता राज्य विचार के लिए लंबित मुकदमें के लिए उपयुक्त न्यायालय में जाने से पूर्व प्रत्यर्पित किए जाने व्यक्ति को लाएगा और उसके अभियोग के लिए उस मुकदमें की तिथि निश्चित करेगा, जिसके लिए प्रत्यर्पण अनुमोदित किया गया था।

अनुच्छेद - सत्रह

1. यदि प्रत्यर्पित किए जाने वाले व्यक्ति पर उस अपराध जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, से इतर अपराध के लिए अनुरोधप्राप्त राज्य में जांच, मुकदमा चल रहा है अथवा दोष सिद्ध किया गया है, अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य अनुरोधप्राप्त होने पर निर्णय लेगा और अनुरोधकर्ता राज्य को निर्णय की सूचना देगा।
2. यदि प्रत्यर्पण का अनुरोध अनुमोदित हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति का प्रत्यर्पण, अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य में उसका मुकदमा पूरा होने और सज़ा के निष्पादन तक स्थागित रखा जाएगा।

अनुच्छेद - अठारह

1. प्रत्यर्पण के लिए किसी कार्रवाई में, अनुरोध प्राप्तकर्ता राज्य के सक्षम प्राधिकारी, जांच अधिकारी के समक्ष दिए गए कथन, और अपराध के विषय पर किसी वारंट, और किसी प्रमाणपत्र अथवा न्यायिक दस्तावेज, शपथ अथवा कथन पर किसी विवरण को साक्ष्य के रूप में मानेंगे यदि ये निम्नलिखित किसी तरीके से प्रामाणिक होगा -
 - (क) अनुरोधकर्ता राज्य के न्यायधीश, मैजिस्ट्रेट अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा वारंट के मामले में हस्ताक्षर द्वारा किसी मूल दस्तावेज के मामले में प्रमाणन द्वारा ; और
 - (ख) गवाह द्वारा या तो शपथ, अथवा साक्ष्य अथवा अनुरोधकर्ता, राज्य के उपयुक्त मंत्री की सरकारी मोहर द्वारा व्यवस्था अथवा वक्तव्य के मामले में।
 - (ग) अन्य किसी ऐसे प्रकार से जो अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के नियमों द्वारा अनुमत्य हो।
2. पैरा एक में उल्लिखित साक्ष्य अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य में प्रत्यर्पण की प्रक्रिया में स्वीकार्य होंगे चाहे शपथ में उल्लिखित हों अथवा अनुरोधकर्ता राज्य अथवा किसी तीसरे राज्य में समर्थित हों।

अनुच्छेद - उन्नीस

1. प्रत्यर्पित किए जाने वाले व्यक्ति पर सिवाय उस अपराध के, जिसके लिए वांछित है, के अतिरिक्त अपराध से जुड़े कृत्यों, प्रत्यर्पण के पश्चात किए गए अपराधों अथवा उसके विरुद्ध चल रही कार्रवाई के दौरान अपराध की प्रकृति में संशोधन के लिए अनुरोधकर्ता राज्य में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा अथवा सजा नहीं दी जाएगी।
2. यदि प्रत्यर्पित किए गए व्यक्ति के पास उस राज्य को छोड़ने की स्वतंत्रता अथवा साधन है, जिस राज्य को वह प्रत्यर्पित किया गया है और अपनी अंतिम रिहायी के तीस दिन पश्चात तक नहीं जाता अथवा उस अवधि के दौरान जाने के पश्चात स्वेच्छा से लौट आता है तो उसपर अन्य अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है।

अनुच्छेद - बीस

1. संविदाकारी पक्ष, जिसे व्यक्ति को प्रत्यर्पित किया गया है, उसे दूसरे संविदाकारी पक्ष की सहमति के बिना तीसरे राज्य को प्रत्यर्पित नहीं करेगा।
2. वह व्यक्ति किसी तीसरे राज्य को प्रत्यर्पित किया जाएगा, यदि उसने अंतिम रिहायी के तीस दिनों के भीतर उस राज्य के क्षेत्र को नहीं छोड़ा है जिस वह प्रत्यर्पित किया गया है अथवा उक्त अवधि के दौरान उसे छोड़ गया परन्तु स्वेच्छा से पुनः लौट आया।

अनुच्छेद - इक्कीस

संधि अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय अथवा सधियाँ जिसके वे पक्षकार हैं से संविदाकारी राज्यों के अधिकार और दायित्व का पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होगा।

अनुच्छेद - बाईस

प्रत्यार्पित किए जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध अनुरोधकर्ता राज्य में दी गई किसी सजा को अनंतिम कारावास की अवधि से घटा कर कम किया जाएगा।

अनुच्छेद - तेईस

1. प्रत्येक संविदाकारी राज्य राजनयिक माध्यम से अनुरोधप्राप्त होने पर अपने क्षेत्र से गुजरने के लिए प्रत्यर्पित किए जाने वाले व्यक्ति को रास्ता देगा।

2. यह अनुरोध, उस अपराध, जिस के लिए इस संधि के प्रावधानों के अतर्गत प्रत्यर्पण किया जा सकता है, के दस्तावेजों द्वारा समर्थित होगा।

अनुच्छेद - चौबीस

1. अनुरोधकर्ता राज्य दस्तावेजों के अनुवाद और प्रत्यर्पित व्यक्ति के परिवहन से सम्बद्ध व्यय को वहन करेगा। अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य प्रत्यर्पण की प्रक्रियाओं के सम्बंध में राज्य में किए जाने वाले सभी अन्य व्यय का भुगतान करेगा।

2. अनुरोधकर्ता राज्य प्रत्यर्पित किए गए व्यक्ति के उस स्थान पर लौटने के व्यय का भुगतान करेगा जहाँ वह प्रत्यर्पण के समय था, यदि अपराध के करने अथवा उसकी सहपरिधिता प्रमाणित नहीं होती।

अनुच्छेद - पच्चीस

दोनों संविदाकारी राज्य, अपने घरेलू नियमों और द्विपक्षीय संधि के अनुसार उस अपराध से सम्बद्ध आपराधिक मामलों में परस्पर सहयोग के प्रयासों में कोई कमी नहीं रखेंगे जिसके लिए प्रत्यर्पण प्रार्थित है।

अनुच्छेद - छब्बीस

दोनों में से कोई संविदाकारी राज्य उस संधि के संशोधन के लिए अनुरोध प्रस्तुत करेगा।

संशोधन के लिए अनुरोध राजनयिक माध्यमों से प्रस्तुत किया जाएगा। यह संशोधन केवल अन्य राज्य के करार के पश्चात वैध होगा।

अनुच्छेद - सत्ताईस

संविदाकारी राज्य इस संधि के अंतर्गत आदान-प्रदान की गई सूचना और दस्तावेजों की गोपनीयता को बनाए रखेंगे।

अनुच्छेद - अट्ठाईस

यह संधि प्रत्येक राज्य में प्रवृत्त विधिक प्रक्रियाओं के अनुसार अनुसमर्थित होगी, और अनुसमर्थन दस्तावेजों के आदान-प्रदान की तारीख के एक माह के पश्चात प्रभावी होगी।

अनुच्छेद - उनतीस

दोनों में से कोई संविदाकारी राज्य इस संधि को किसी भी समय दूसरे राज्य को छह माह की सूचना देकर समाप्त कर सकता है, बशर्ते कि दोनों में से किसी भी राज्य द्वारा प्रारम्भ की गई प्रक्रियाएं अंत तक रहेंगी।

मस्कट में ईस्वी 2004 दिसम्बर माह के 26 वें दिन, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में, प्रत्येक भाषा में दो मूल प्रतियों में संपन्न। सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। किसी भिन्नता के मामले में, अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

अतः अब प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 (1962 का 34) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि अध्याय III को छोड़कर उक्त अधिनियम के प्रावधान इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से ओमान सल्तनत पर लागू होंगे।

170765/06-2

[फा. सं. टी/413/36/96]

आर. आर. दास, संयुक्त सचिव(सी पी वी)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 1st June, 2006

Extradition Treaty between the Republic of India and the Sultanate of Oman

G.S.R. 341(E).—Whether the Extradition Treaty between the Republic of India and the Sultanate of Oman was signed at Muscat, on 26th December, 2004, and the instruments of ratification were exchanged at New Delhi on 14th September, 2005 in accordance with Article 28 of the Treaty and which treaty provides as follows :

The government of the Republic of India and the government of the Sultanate of Oman, hereinafter referred to as the Contracting States;

Recalling the traditional friendly relations between the two countries;

Deeply concerned by the magnitude of and rising trend in acts of international terrorism and organized crime;

For the necessity of strengthening and reinforcing the effective legitimate methods for the cooperation between the two countries in the field of criminal matters; and,

Endeavouring to achieve the common intent of cooperation in crime combat, as to reflect the friendly bilateral relations between the two countries,

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

The Contracting States shall extradite any person found in their respective territories who is accused or convicted of an extraditable offence in the territory of the other Contracting State.

The Contracting States shall commit themselves to extradition for offences committed before or after the entry into force of this Treaty.

ARTICLE 2

The following persons shall be extradited:

1. Persons accused of an offence punishable under the laws of both Contracting States by imprisonment for not less than one year or for more severe punishment.
2. Persons sentenced by the Courts of the Requesting State with imprisonment for six months or more in respect of an extraditable offence.

ARTICLE 3

The crimes punishable by death penalty in both countries shall be extraditable. Where any crime for which the extradition is sought is not punishable by death penalty in the Requested State, extradition shall not be granted unless the Requesting State gives such an assurance that the death penalty will not be imposed or if imposed will not be executed.

ARTICLE 4

An offence may be extraditable notwithstanding its relation to taxation, revenue or is one of purely fiscal nature.

ARTICLE 5

An attempt or conspiracy to commit, incite or participate in committing an extraditable offence, shall also be regarded as an extraditable offence if the same is an offence in both Contracting States.

ARTICLE 6

Extradition shall not be refused on the ground that the person sought is a national of the Requested State.

ARTICLE 7

1. Extradition shall be granted by the Requested State in respect of an extraditable offence committed outside its territory but within the jurisdiction of the Requesting State provided that the Requested State would, in similar circumstances, have jurisdiction over such offence. In such cases, the Requested State shall observe all the circumstances of the case including the seriousness of the offence.

2. Extradition shall be granted for an extraditable offence if it is committed in a third State by a national of the Requesting State provided that it is an extraditable offence under the laws of the Requested State had it been committed therein.

3. Extradition shall also be granted for an extraditable offence notwithstanding that the acts of the person sought occurred wholly or partly in the Requested State, if under the law of that State his acts and effects or intended effects thereof, as a whole, would constitute an extraditable offence in the territory of the Requesting State.

ARTICLE 8

Extradition may be refused:

1. If the offence for which the extradition is requested is a political offence or an offence of political nature. In the application of this Treaty,

the following shall not be regarded as political offences or offences of a political nature:

- a. Assault or attempted assault against the Head of the State, Head of the Government, Vice Presidents, any member of their families, members of the Royal Family of the Sultanate of Oman, members of the Council of Ministers, any persons holding the rank of a Minister of either Contracting States or any member of their families;
 - b. Murder, culpable homicide, robbery and theft crimes accompanied by coercion whether committed by one or several persons against an individual, government, local authorities or against the means of communication and transportation;
 - c. Terrorism offences, including murder, manslaughter, assault causing bodily harm, kidnapping, hostage-taking, offences involving serious damage to property or disruption of public facilities, and offences related to fire-arms, other weapons, explosives or dangerous substances;
 - d. Any offence under an international convention to which both the Contracting States are parties and which obligates the parties to prosecute or grant extradition;
 - e. An attempt, conspiracy to commit, incite or participate in the commission of any of the above-mentioned offences.
2. If the person sought to be extradited was previously tried for the same offence for which extradition is requested and was acquitted or convicted and had served the sentence or was serving it.
 3. If the criminal proceedings have abated or the sentence is time barred under the law of either Contracting State, when the request for extradition is received.
 4. If the offence is committed by an alien outside the territory of the Requesting State, and it is not an offence under the law of the Requested State.
 5. If the offence for which the extradition is requested was committed in the Requested State, provided the Requested State prosecutes the person.
 6. If a person whose extradition is sought is being investigated or tried in the Requested State for the same offence for which his extradition is requested.

ARTICLE 9

Where the Requested State rejects a request for extradition for the reasons set out under this Treaty it shall submit the case to its competent authorities for prosecution in accordance with procedures applicable in such cases in the Requested State and notify the Requesting State of the results.

ARTICLE 10

The request for extradition shall be made in writing and served through the diplomatic channels accompanied by the following documents and particulars:

- a. Particulars as to identity, description and photograph of the person to be extradited, if possible.
- b. The warrant of arrest, remand or any document having the same effect, issued by a competent authority, if the person to be extradited is an accused.
- c. The date, the place of the commission of the acts for which extradition is requested, the legal characterization of those offences, and a certified copy of the applicable legal provisions, and a statement by the prosecuting authorities as to evidence against the person to be extradited.
- d. In case of a convicted offender, an official copy of the judgement passed.
- e. Such other evidence as according to the laws of the Requested State, would justify the offender's arrest and committal for trial had the offence been committed within the jurisdiction of the Requested State.

All documents referred to above shall be translated into English and authenticated by the Requesting State.

ARTICLE 11

1. In case of urgency, a person to be extradited may be provisionally arrested and detained until the request for extradition, together with the documents referred to in the preceding Article are received.
2. The provisional request shall be communicated in writing to the competent authority of the Requested State, either by post, telegram or any similar means including the International Criminal Police Organisation (INTERPOL).

3. The same request shall be confirmed through the diplomatic channels, and shall contain a reference to the existence of any of the documents enumerated in the preceding Article, and intimating the intention of the Requesting State to transmit a request for extradition, a statement of the offence for which extradition is requested, the sentence specified for that offence or the sentence inflicted, the time and place of the commission of the offence and a detailed description of the person to be extradited as far as possible. The Requesting State shall forthwith be notified of any action taken in respect of the request.

4. The provisional arrest shall be executed in accordance with the legal procedures of the Requested State.

ARTICLE 12

1. If the documents required under this treaty are not delivered within ninety days from the date of the arrest of the person to be extradited, the competent authority in the Requested State may release that person.

2. The person to be extradited may at any time be released on bail, if the Requested State takes all necessary measures to prevent his escape. The release of such person shall not prevent his re-arrest and extradition if the request for extradition is completed afterwards.

ARTICLE 13

If the Requested State needs additional clarifications to ensure the compliance with the conditions embodied in this Treaty, it shall notify the Requesting State through the diplomatic channels and/or INTERPOL, before rejecting the request, and may fix a reasonable period for receiving such clarifications.

ARTICLE 14

If the extradition of the same person, whether for the same offence or different offences is requested by a Contracting State and a third State with which the Requested State has extradition agreement, the Requested State shall determine to which State the person shall be extradited taking into consideration and giving priority to the State whose security or interest or its nationals or their interest are affected by the offence, and then to the State on whose territory the offence is committed, and lastly to the State of which the person is to be extradited is a national. If the circumstances are identical the State which made the first request shall have preference. If the requests for extradition are for several offences, the preponderance is accorded to the circumstances of the offence and gravity of the offence.

ARTICLE 15

1. Without prejudice to the right of others acting in good faith and to the laws in force in the Requested State, anything found in possession of the person to be extradited at the time of his arrest or remand or at a later stage, provided that these things are proceeds of the offence or used in the commission thereof, or connected with it, or may be relevant as evidence of the offence, shall be attached and may be handed over to the Requesting State, even if the person concerned is not extradited due to his death or absconding.

2. If the seized materials referred to in para 1 of this Article are still required for the investigation of the crime pending in the Requested State, then the delivery of these materials may be delayed, or they may be delivered provided that they should be returned after the settlement of the case and proceedings in the Requesting State.

ARTICLE 16

1. The competent authorities in each of the Contracting States shall determine the requests for extradition in accordance with their domestic laws in force at the time of the request, provided that they are not inconsistent with the provisions of this Treaty.

2. The Requested State shall communicate to the Requesting State the decision taken in respect of extradition request, through diplomatic channels without any delay.

3. In the event of approval of the extradition request, the Requesting State shall be notified of the date and place of extradition.

4. The Requesting State shall within thirty days from the date of the above notification of extradition, receive the person to be extradited, otherwise the Requested State may discharge him, and in such event no second request for extradition for the same person may be accepted for the same offence.

5. Where extradition is approved under this Treaty, the Requesting State shall ensure that the person extradited is brought to trial within six months of the extradition and if the trial has not commenced within six months, the Requesting State shall bring the person extradited before its appropriate courts for bail to be considered pending trial and to fix a trial date for charges for which the extradition was approved.

ARTICLE 17

1. If the person to be extradited is under investigation, standing trial or convicted in the Requested State for an offence other than that for

which his extradition is requested, the Requested State shall decide on the request and communicate the decision to the Requesting State.

2. If the request for extradition is approved, then the extradition of such person shall be postponed until his trial in the Requested State is completed and the punishment passed is executed.

ARTICLE 18

1. In any proceeding for extradition, the competent authorities of the Requested State shall admit as evidence any statement taken on oath or by affirmation, statement made before an investigating officer, warrant and any certificate or judicial document stating a conviction, if it is authenticated in the following manner:

a. By signature in case of a warrant, and in case of any original document by certification by a judge, magistrate or other competent authority of the Requesting State; and

b. In case of dispositions or statements either by oath, testimony by witness or by the official seal of the appropriate minister of the Requesting State; or

c. In such other manner as may be permitted by the law of the Requested State.

2. The evidence prescribed in para 1 shall be admissible in extradition proceeding in the Requested State whether adduced on oath or corroborated in the Requesting State or in a third State.

ARTICLE 19

1. The person to be extradited shall not be tried or punished in the Requesting State except for the offence for which his extradition is sought, offences connected therewith, offences committed after his extradition or if the nature of the offence is modified during the proceedings against him:

2. If the person extradited has the liberty and means to leave the territory of the State to which he has been extradited and he has not left within thirty days subsequent to his final release or has left during that period, but voluntarily returned, he may be tried for the other offences.

ARTICLE 20

1. The Contracting State to which the person is extradited shall not extradite him to a third State, without the consent of the other Contracting State.
2. The person may be extradited to a third State, if he has not left the territory of the State to which he has been extradited within thirty days of his final release or has left during that period but voluntarily returned to it.

ARTICLE 21

The present Treaty shall not prejudice the rights and obligations of the Contracting States arising from international conventions or treaties to which they are parties.

ARTICLE 22

The term of provisional detention shall be deducted from any sentence passed in the Requesting State against the person to be extradited.

ARTICLE 23

1. Each of the Contracting States shall grant the person to be extradited from a third State passage through its territory upon request made through the diplomatic channels.
2. The request shall be supported by documents pertaining to an offence for which extradition can be granted under the provisions of this Treaty.

ARTICLE 24

1. The Requesting State shall bear the expenses related to the translation of documents and the transportation of the person extradited. The Requested State shall pay all other expenses incurred in that State in connection with the extradition proceedings.
2. The Requesting State shall pay the return expenses of an extradited person to the place where he was at the time of extradition if his commission of the offence or complicity therein is not proved.

ARTICLE 25

Both Contracting States, in accordance with their domestic laws and the bilateral Treaty, shall spare no effort in mutual cooperation in

criminal matters relating to the crime for which the extradition is requested.

ARTICLE 26

Either of the two Contracting States may submit a request for amendment to this Treaty.

The request for amendment shall be submitted via diplomatic channels. The amendment shall only be valid after the agreement of the other State.

ARTICLE 27

The Contracting States shall maintain the confidentiality of information and documents exchanged under this Treaty.

ARTICLE 28

This Treaty shall be ratified in accordance with the legal procedures in force in each State, and shall come into force after one month from the date of exchange of the instruments of ratification.

ARTICLE 29

Either of the two Contracting States may terminate this Treaty at any time by giving the other State a six-month notice, provided that the procedures commenced by either State shall proceed to the end.

Done in Muscat on this 25th day of December of 2004 in two originals each in the Hindi, Arabic and English languages all the texts being equally authentic. In the event of any differences the English text shall prevail.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 3 of the Extradition Act, 1962 (34 of 1962), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act, other than Chapter III, shall apply to the Sultanate of Oman with effect from the date of publication of this notification.

[F. No. T/413/36/96]

R. R. DASH, Jt. Secy. (CPV)